

शीर्षक: सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु बोली

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

जयपुर

बोली फार्म



बोली संदर्भ संख्या क्रमांक:-F-49(7)/SIHFW/Tender-Cleanliness/22-23/49&3

दिनांक:-20.07.2022

कार्य का नाम: राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर में
सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु बोली

Handwritten signature

सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु बोली आमंत्रण
E-Tender

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर में सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु

बिड संदर्भ सं. F-49(7)/SIHFW/Tender-Cleanliness/22-23/4983

दिनांक: 20/07/2022

ऑनलाइन बोली आवेदन डाउन लोड करने की तिथि व समय	:	21.07.2022 सायं 4 बजे
बोली फार्म शुल्क, ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क व बोली प्रतिभूतिराशि जमा कराने की दिनांक, समय व स्थान	:	03.08.2022 दोपहर 1 बजे तक रा.स्वा.एवं प.क.सं. कार्यालय
ऑनलाइन बोली आवेदन करने की अंतिम तिथि व समय	:	03.08.2022 दोपहर 1 बजे तक
ई-टेण्डर तकनीकी बोली खोलने की तिथि, समय व स्थान	:	03.08.2022 दोपहर 3 बजे रा.स्वा. एवं प.क.सं. कार्यालय
बोली मूल्य	:	अनुमानित लागत रु 20.00 लाख
बोली फार्म शुल्क	:	रु 500/- (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)
ई टेण्डर प्रोसेसिंग शुल्क	:	रु 500/-
बोली प्रतिभूति राशि	:	रु 40000/- (एम.एस.एम.ई. फर्म हेतु नियमानुसार छूट देय है)

(बोली प्रतिभूति राशि रुपये 40000/- (चालीस हजार रु मात्र) एवं बोली फार्म शुल्क रुपये 500 (पाच सौ रु मात्र) का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के पक्ष में जयपुर में देय हो एवं ई-टेण्डर प्रक्रिया शुल्क राशि 500 (पांच सौ रु मात्र) का डी.डी./बैंकर्स चैक मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल. (MD, RISL) के पक्ष में जयपुर में देय हो। (तीनों के डी.डी./बैंकर्स चैक अलग-अलग हों)


ई-टेण्डर तकनीकी बोली खोलने का स्थान व सम्पर्क हेतु पता
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,
दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Email ID- sihfwraj@ymail.com



बोली अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोली सूचना	4
2.	बोली दाताओं हेतु निर्देश	5-9
3.	बोली फार्म चैक लिस्ट संलग्नक "A"	10
4.	बोली फार्म संलग्नक "B"	11
5.	सविदा की शर्तें एवं नियम संलग्नक "C "	12-17
6.	कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्नक "D"	18
7.	वार्षिक टर्न ओवर संलग्नक "E"	19
8.	स्व घोषणा प्रमाण पत्र संलग्नक "F"	20
9.	स्वामित्व प्रमाण पत्र संलग्नक "G"	21-22
10.	Format of BoQ संलग्नक "H"	23

नोट :- सम्पूर्ण बोली तथा BOQ देवनागरी लिपी हिन्दी के फॉन्ट **DevLys 010** (कमअस्ले 010) लिखित है।



राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना संस्थानिक क्षेत्र साउथ ऑफ दूरदर्शन केन्द्र, झालाना, जयपुर,

दूरभाष नं. 2706496, 2701938, Email ID- sihfwraj@gmail.com

क्रमांक:- F-49(7)/SIHFW/Tender-Cleanliness/22-23/4983

दिनांक:- 20.07.2022

:- बोली सूचना :-

संस्थान के सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी बोली दाताओं/फर्मों/ठेकेदारों से बोली आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	कार्य	क्षेत्र का वर्णन	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि रु. में	बोली फार्म राशि रु. में	ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि रु. में	ऑनलाइन बोली आवेदन/डाउनलोड करने की तिथि	ई-टेंडर तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1	सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु	सम्पूर्ण संस्थान परिसर मय मुख्य भवन, समस्त प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, कैंटीन, रिकल लैब, समस्त हॉस्टल, गेस्ट हाउस, पोर्च एवं कॉरीडोरस, समस्त छत पार्किंग क्षेत्र, गार्डन एरिया, समस्त शेष क्षेत्र आदि	20 लाख रुपये (1 वर्ष हेतु)	रु. 40000 (रु चालीस हजार मात्र)	500 बैंकर्स चैक / डी.डी.	500 बैंकर्स चैक / डी.डी.	21.07.2022 से सायं 4.00 बजे से 03.08.2022 दोपहर 01:00 बजे तक	03.08.2022 दोपहर 03:00 बजे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

उपरोक्त कार्य आपूर्ति के लिए बोलीदाताओं से ई-बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली फार्म राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-टेंडर को अपलोड करने की अन्तिम तिथि 03.08.2022 दोपहर 01:00 बजे तक है। बोली दाता फर्म को बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) एवं बोली फार्म शुल्क राशि का डी डी अथवा बैंकर्स चैक जो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के पक्ष में देय एवं ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि का डी डी अथवा बैंकर्स चैक MD RISK payable at Jaipur संलग्न करना अनिवार्य होगा जो दिनांक 03.08.2022 को दोपहर 01.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में जमा करा देंगे। बोली प्रतिभूति राशि, बोली फार्म राशि एवं ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि के बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताए किसी भी भाग अथवा पूर्ण बोली को रद्द करने अथवा प्राप्त बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

निदेशक



बोली दाताओं हेतु निर्देश

1. बोली पंजीकृत एवं अनुभवी बोली दाताओं/फर्मों/ अनुभवी एजेन्सी/ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है।
2. बोली प्रपत्रों को वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.sihfwrajasthan.com एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन बोलियों में भाग लेने वाले आवेदक बोली को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करें।
3. बोली डाउनलोड, अपलोड, खोलने एवं दस्तावेज जमा कराने आदि की तिथि व स्थान निम्नानुसार रहेगा:-
 - (अ) बोली प्रपत्र डाउनलोड की अवधि दिनांक 21.07.2022 समय सांय 4 बजे से 03.08.2022 दोपहर 1 बजे तक होगी।
 - (ब) बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 21.07.2022 समय सांय 4 बजे से 03.08.2022 दोपहर 1 बजे तक अपलोड कराये जा सकते हैं एवं प्राप्त बोलियों की तकनीकी बिड इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेब साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 03.08.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी।
 - (स) बोली शुल्क व धरोहर राशि एवं आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में 03.08.2022 दोपहर 1 बजे तक जमा कराया जा सकेगा।
 - (द) बोली प्रपत्र को दिनांक 21.07.2022 समय सांय 4 बजे से 03.08.2022 दोपहर 1 बजे तक वेबसाईट www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in और www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। बोली प्रपत्र में बोली दाता के लिये योग्यता सूचना तथा बोली कर्ता की पात्रता, विभिन्न कार्यों की मात्रा का विवरण, नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण वर्णित हैं।
4. धरोहर राशि (Bid Security) बोली प्रपत्र में दर्शाई गयी कुल अनुमानित लागत की दो प्रतिशत होगी। बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के नाम एवं ई-टेंडर प्रक्रिया शुल्क राशि का डी डी अथवा बैंकर्स चैक MD RISL payable at Jaipur देय होगा। असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के पश्चात् कर दिया जायेगा।
5. बोली खोलने के दिनांक से 90 दिवसों तक स्वीकृति हेतु मान्य (open) रहेगी। यदि बोलीकर्ता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस ले लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. बोली प्रतिभूति का समपहृत (forfeiture of bid security)

1. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपह्त (forfeit) कर दी जायेगी :-
 - क. जब बोली लगाने वाला बोली खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत (withdraw) या उपान्तरित (modifies) करता है।
 - ख. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश (work order) देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
 - ग. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन करने में असफल रहता है।
 - घ. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश किये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा नहीं कराता है।
 - ड. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
2. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है तो लौटायी जा सकती है।
7. यदि सफल बोली कर्ता अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है, अथवा करार की शर्तों को भंग करता है, तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) जब्त कर ली जावेगी।
8. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क डिमांड ड्राफ्ट या बैकर्स चैक के रूप में निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है।
9. किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निदेशक रा.स्वा. प.क.सं के पास सुरक्षित है।
10. ई-टेण्डरिंग के लिये बोली दाता हेतु निर्देश:-
 - (अ) बोली में भाग लेने वाले बोली दाता बोली प्रपत्रों को इन्टरनेट साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> एवं www.sihfwrajasthan.com, www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (download) कर सकते हैं।
 - (ब) बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को वेबसाइट "<http://www.eproc.rajasthan.gov.in>" पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। जिन बोली दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है वे बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं।

- (स) बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
- (द) इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोली दाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।
- (य) यदि बोली दाता को इलेक्ट्रॉनिकली बोली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार संस्थान नहीं होगा। बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि 03.08.2022 समय दोपहर 1:00 बजे के पश्चात जमा किये गये दस्तावेजों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा। अतः बोली दाता टेंडर प्रपत्र में आवश्यक सभी सूचनाओं को संपूर्ण रूप से सही व त्रुटिरहित भरकर निर्धारित समयावधि में ऑन लाईन दर्ज करें।
- (र) ऑन लाईन बोली निर्धारित दिनांक 03.08.2022 समय दोपहर 3:00 बजे एवं स्थान (राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान) पर खोली जायेंगी।
- (ल) यदि किसी कारणवश बोली खोलने के दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर बोली खोली जाएंगी। जो बोली दाता तकनीकी बिड में क्वालीफाई करेंगे केवल उनको ही वित्तीय बिड खोलने की सूचना ई-मेल से दी जावेगी। बोली खोलने की समस्त प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
11. बोली दाता द्वारा बोली प्रपत्रों के साथ बोली फार्म शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि तथा आर.आई.एस.एल. के पक्ष में देय शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की फोटो प्रति के साथ अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां, वेब साइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करना आवश्यक है।
 12. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक अलग-अलग देय होंगे। अगर एक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक को एक से अधिक बोली में अपलोड करना पाया गया तो बोली दाता को इन सभी बोलियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
 13. भौतिक रूप से जमा कराये जाने वाले दस्तावेजों यथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक एवं पोर्टल पर डिजिटली अपलोड किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाने पर उसे निर्धारित समय सीमा में पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए आवेदन कर दुरस्त किया जाना सम्भव है किन्तु बोली जमा कराने की निर्धारित समय सीमा (दिनांक 03.08.2022 को दोपहर 1:00 बजे तक) के उपरान्त किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार संभव नहीं हो पायेगा एवं निर्धारित समय सीमा के उपरान्त बोली दाता द्वारा बोली को पूर्ण करने के उद्देश्य से स्वयं के स्तर पर प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दस्तावेज अथवा त्रुटिसुधार की प्रार्थना को बोली का भाग माना जाना सम्भव नहीं हो पायेगा एवं तदनुसार अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण बोली को अमान्य घोषित किया जायेगा जिसके लिये बोली दाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
 14. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि कार्यादेश राशि की 2.5 प्रतिशत होगी। सफल बोली दाता को कार्यादेश देते समय अथवा अनुबंध के समय बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जाना संभव हो सकेगा।
 15. वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय बोली भरते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि दरें व्यवहारिक हों। कार्यादेश देने के बाद सफल बोली दाता द्वारा कोई भी सत्यनिष्ठा संहिता भंग



(Breach of Integrity) की जाती है, (RTPP Rule 80(2)), तो किया गया करार समाप्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (परफॉर्मैन्स सिक्योरिटी) जब्त कर ली जावेगी।

16. बोली दाता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता तथा ई-मेल आईडी अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक/ई-मेल द्वारा संपर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर सम्पूर्ण समय में वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है, तो उसके द्वारा अधिकृत उस व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्यालय पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु संपर्क स्थापित किया जा सके।
17. यह बोली क्वालिटी बेस्ड अर्थात् गुणवत्ता आधारित है जिसका निर्धारण तकनीकी बोली में अंकित मापदंडों पर किया जायेगा। वित्तीय बोली केवल तकनीकी बोली में सफल होने वाले बोली दाता की खोली जावेगी।
18. वित्तीय बोली हेतु समस्त दरें विभिन्न कर, शुल्क, व्यय BOQ फार्मेट के अनुसार सम्मिलित करते हुये होंगी
19. सफल बोली दाता (अनुबंधकर्ता) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों व उनके अन्तर्गत प्रवृत्त नियमों व निर्देशों का नियमानुसार पालन करने के लिये बाध्य होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। फिर भी इन प्रावधानों के अन्तर्गत सफल बोली दाता के किसी दायित्व का भुगतान यदि संस्थान को किन्ही परिस्थितियों में वहन करना पड़ जाये तो उसकी समस्त वसूली सफल बोली दाता से ही की जावेगी।
20. निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात् बोलियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
21. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
22. बोली दाता को प्रपत्र बिना काट-छांट के अपलोड करना होगा। स्कैन किये गये व अपलोड किये जाने वाले बोली प्रपत्र में अतिआवश्यक परिस्थिति में प्रत्येक काट-छांट पर बोली दाता को अपने हस्ताक्षर करने होंगे अन्यथा बोली को अमान्य किया जा सकता है।
23. बोली स्वीकार करने/नहीं करने या समस्त बोली कार्यवाही को निरस्त करने का अंतिम अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का होगा।
24. सम्पूर्ण बोली पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में उल्लेखित धाराएं एवं नियम प्रभावी होंगे एवं अनुबन्धक के लिए बाध्यकारी होंगे।
25. सफल बोली दाता से अनुबंध की अवधि अनुबन्ध किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त अनुबन्ध आवश्यक होने पर नियमानुसार अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
26. बोली दाता के लिए यह समझा जायेगा की उसने इस बोली की समस्त शर्तों/विवरण आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर, समझ कर समस्त शर्तों व विवरण पत्रों को स्वीकार कर प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।
27. निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान किसी भी बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोली दाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखता है।
28. बोली दाता को करार निष्पादित करते समय निम्नलिखित संलग्नानुसार दस्तावेजों की प्रति को मूल दस्तावेजों को दिखाकर-प्रमाणित/सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा।
 - कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - सोसायटी के मामले में सोसायटी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
 - जी.एस.टी पंजीकरण एवं पैन नंबर।



- श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन।
- ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन।
- प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

उक्त दस्तावेजों की प्रति बोली के साथ संलग्न न होने की स्थिति में बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

29. बोली दाता कार्य को किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नहीं करेगा।
30. बोली दाता फर्म का सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण/कॉरपोरेट संस्थान का संतोषजनक कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव का होना अनिवार्य है।
31. बोली दाता या उसके किसी प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनहर्ता होगी। आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 (3) एवं आर.टी.पी.पी. रूल्स के नियम 80(2) के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता भंग किये जाने की स्थिति में निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर उक्त अधिनियम व नियम के नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगा।
32. यदि बोली के संबंध में संस्थान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा बोली को पास कराये जाने संबंधी कोई गारंटी दी हो या शुल्क की मांग की हो तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाना बोली दाता का दायित्व होगा।
33. निविदादाता द्वारा एम.एस.एम.ई. का प्रमाण पत्र, संस्थान को नियमानुसार प्रस्तुत करने पर निर्धारित शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि में छूट देय होगी।

निदेशक



तकनीकी बोली

संलग्नक "A"

घोषणा पत्र व चैकलिस्ट

मैं/हम (बोलीदाता का नाम), कार्यालय

..... बोलीदाता का पता घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर द्वारा बोली में दिये गये सभी शर्तें एवं नियम पढ़ लिये हैं तथा उल्लेखित सभी शर्तों, नियमों व नीचे दिये गये ग्रेडिंग/मेरिट सिस्टम का पालन करने हेतु सहमत हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरों को बोली वैधता की पूरी अवधि के लिए वैध रहने की घोषणा करते हैं।

मैं/हम हमारे द्वारा दी गई दरें राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में समान प्रकार व गुणवत्ता की दी गई सेवाओं की दर से अधिक नहीं है की घोषणा करते हैं।

क्र.सं.	विवरण	संलग्न हों/नहीं	पृष्ठ संख्या
1.	बोली प्रतिभूति राशि रु. 40000/- बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य		
2.	श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
3.	पैन कार्ड की प्रति अनिवार्य		
4.	ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
5.	ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
6.	जी.एस.टी टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रति अनिवार्य		
7.	वर्ष 2018-19 से 2020-2021 की आयकर विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
8.	वर्ष 2021-22 की जी.एस.टी. जमा विवरणी की सी.ए.फर्म द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य		
9.	हस्ताक्षरित मूल बोली फार्म मय संलग्नक "A से G तक" अनिवार्य		
10.	सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण/कॉरपोरेट संस्थान में कार्यालय भवन एवं सम्पूर्ण परिसर की सफाई व्यवस्था संतोषजनक उपलब्ध कराने के कार्यानुभव प्रमाण पत्र संलग्न "D") न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।		
11.	टर्नओवर विवरण- (संलग्नक "E") विगत तीन वर्ष का औसत सकल वार्षिक टर्नओवर रुपये 30.00 लाख प्रतिवर्ष (रुपये तीस लाख) इसी व्यवसाय से होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
12.	बोली दाता फर्म किसी सरकारी विभाग/एजेन्सी से ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, इसका शपथ पत्र 50.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें (संलग्नक "F") अनिवार्य		
13.	वैध गुणवत्ता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ./अन्य समकक्ष) यदि हो तो		
14.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रति		

नोट:-

उपरोक्त सारणी में पृष्ठ संख्या अवश्य लिखें ताकि आपके द्वारा संलग्न दस्तावेज को आसानी से ढूँढा जा सके।

तकनीकी बोली

संलग्नक "B"

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

ज्ञालाना संस्थानिक क्षेत्र, साउथ आफ दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर-302004

फोन न. 2706496, 2701938, Email ID- sihfwrj@ymail.com

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु

बोली फार्म

1.	बोली दाता फर्म/संस्था का नाम		
2.	सम्पर्क हेतु डाक का पूरा पता		
3.	दूरभाष: अ) कार्यालय..... ब) निवास..... मोबाईल..... ई-मेल.....	
4.	फर्म के मालिक/साझेदारों के नाम व पूरा पता		
5.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी (संलग्नक G)		
6.	(अ) बोली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता (ब) किस हैसियत से हस्ताक्षर किये हैं? (स) मालिक के अतिरिक्त अन्य हस्ताक्षरकर्ता ने स्वयं के पक्ष में समुचित अधिकार पत्र प्रस्तुत किया है?	नाम- पता- (यथा मालिक/मैनेजर/सचिव/अधिकृत व्यक्ति) हों/नहीं/लागू नहीं	
7.	यदि फर्म जयपुर से बाहर स्थित हो तो जयपुर शहर में स्थानीय संपर्क स्थल/सूत्र की जानकारी दें?	नाम मोबाईल नं. दूरभाष नं. पता-	
8.	संलग्न बैंकर चैक/डी.डी. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) का विवरण (जमा करा दी गई है/नहीं कराई है)	बोली फार्म शुल्क बोली प्रतिभूति राशि ई टेन्डर प्रक्रिया शुल्क	बैंकर चैक/डी.डी. सं.
		दिनांक:	

उपयुक्त जानकारियां सही व तथ्यों पर आधारित हैं। यदि अनुबंध के दौरान प्रस्तुत सूचना में कोई विसंगतियां प्रमाणित हों तो अनुबंध निरस्त करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने क्रमांक 5 से 8 तक सम्बंधित एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कागजात अथवा उनकी प्रति संलग्न कर दी है।

बोली दाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प
नाम व पता मय दूरभाष नं.

Signature

बोली की शर्तें एवं नियम

1. बोली दाता द्वारा सम्पूर्ण संस्थान परिसर की सफाई व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त कार्य करवाये जाने हैं। इच्छुक बोलीदाता द्वारा संस्थान परिसर का अवलोकन कार्यालय समय में किया जा सकता है।

2. सम्पादित किये जाने वाले कार्य का विवरण

1. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में भवन के समस्त ब्लॉक जिसमें


- हॉस्टल- पुराना हॉस्टल ब्लॉक (36 कमरे व संलग्न लैटबाथ बॉलकोनी, समस्त कोरीडोर, प्रशिक्षण कक्ष व रिक्रीेशन रूम 2, अटेन्डेन्ट रूम 1, आदि), नया हॉस्टल ब्लॉक (20 कमरे, 6 स्यूट्स संलग्न लैटबाथ बॉलकोनी, समस्त कोरीडोर, रिसेप्शन ऐरिया, स्टोर व अटेन्डेन्ट रूम 1, 2 लैट बाथ कॉमन आदि),
- केन्टीन के भू-तल व प्रथम तल मय टॉयलेट लैटबाथ
- 2 गेस्ट हाउस (मय 4 स्यूट्स मय टॉयलेट लैटबाथ बालकानी आदि),
- 109 नं. फ़ैकल्टी ब्लॉक (6 कक्ष, 2 टॉयलेट, हॉल मय 4 वर्किंग स्टेशन आदि), 103 नं. ब्लॉक (4 कक्ष, 1 टॉयलेट, हाल मय 2 वर्किंग स्टेशन आदि), लॉबी 1, पुस्तकालय 1, समस्त बरामदे, स्िकल लैब
- ऑडिटोरियम (122 नं.), कान्फ़ेन्स हॉल 2 (जीएफ व एफएफ) मय टॉयलेट, बोर्ड रूम (102 व 202 नं.), प्रशिक्षण हॉल (100, 120 नं.), कम्प्यूटर लैब 1, कमरा नम्बर 119 आदि
- चैयरमेन कक्ष मय रेस्ट रूम टॉयलेट (201), निदेशक कक्ष (101) मय रेस्ट रूम व टॉयलेट, पीए कक्ष, स्टॉफ चाय केन्टीन 1, मय समस्त बरामदें।
- समस्त सीढ़ियां, छतें, सड़के, फुटपाथ, कार एवं मोटरसाईकिल पार्किंग स्टेण्ड, बगीचे, बाहरी खाली पड़ा क्षेत्र समस्त सीवरेज व ड्रेनेज नालियां, शौचालय, दीवारें, दरवाजे, खिडकियां, टेबिल कुर्सी, कॉच, जालियां, पर्दे, पंखे, ट्यूबलाईट, अलमारियां, डस्टबीन, गार्ड रूम मय टॉयलेट, समस्त पानी की टंकिया (भूमिगत, छत के उपर व ओवरहैड टैंक) इत्यादि सम्मिलित हैं।
- संस्थान का सम्पूर्ण बाहरी व आन्तरिक परिसर सम्मिलित हैं।

2. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की समस्त साफ-सफाई की गुणवत्ता 24x 7 बनाये रखनी होगी।

- समस्त फ्लोर ऐरिया पर दिन में दो बार फिनाईल/आवश्यकतानुसार रासायनिक मिश्रण डालकर पोछा करना होगा, जिसमें कार्यालय परिसर, गेस्ट हाउस, प्रशिक्षण कक्ष, हॉस्टल के कमरे एवं परिसर, सीढ़ियों, स्वागत कक्ष, बरामदे, पोर्च इत्यादि सम्मिलित होंगे।
- समस्त दरवाजे, कुर्सी, टेबिल, स्वीच आदि पर आवश्यकतानुसार रासायनिक मिश्रण प्रयोग करना होगा।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त कमरों, दरवाजों, खिडकियों, जालियों, शीशे के दरवाजे आदि की सफाई प्रतिदिन एक बार आवश्यक रूप से एवं आवश्यकता पडने पर अतिरिक्त रूप से करना होगा।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त कचरा पात्रों की सफाई प्रतिदिन दो बार करनी होगी।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की समस्त सड़कों, फुटपाथों, भवन के चारों ओर की रेलिंग के अन्दर, खुला परिसर कार व स्कूटर स्टेण्ड, केन्टीन की सफाई प्रतिदिन करनी होगी।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की छत, पानी निकासी के पाईप, की




- सफाई माह में दो बार करनी होगी।
- राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) की पानी की समस्त टंकियां (भूमिगत, छत के ऊपर ओवर हैड टैंक) की सफाई प्रति 6 माह में करनी होगी।
 - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में रखे समस्त सोफे, परदे, लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लेब इत्यादि की सफाई आधुनिक सफाई यंत्रों (वेक्यूम क्लीनिंग) से प्रतिदिन करवानी होगी।
 - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के समस्त ट्यूबलाईट फिक्सचर, पंखों, मरकरी लाईट की सफाई सप्ताह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार व विद्युत ट्रांसफार्मर एवं जनरेटर कक्ष की सफाई माह में दो बार करनी होगी।
 - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) के राजकीय अवकाश के दिन कैंटीन, बरामदों, सीढ़ियों कार व स्कूटर स्टैण्डों की सफाई व धुलाई का कार्य करना होगा।
 - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में जाले हटाने का कार्य सप्ताह में एक बार तथा आवश्यक हो तो तुरन्त करना होगा।
 - राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में सफाई करने के बाद समस्त कूड़ा करकट व कचरे को परिसर के बाहर नगर निगम द्वारा बताये गये उचित स्थान व तरीके से डलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 - संस्थान परिसर स्थित समस्त शौचालयों (जिनमें हॉस्टल व गेस्ट हाउस के कमरों में संलग्न शौचालय सम्मिलित नहीं है) की सफाई दिन में दो बार व आवश्यकतानुसार भी करनी होगी। हॉस्टल कमरों व गेस्ट हाउस के संलग्न शौचालयों की सफाई एक बार नियमित रूप से एवं आवश्यकतानुसार भी करनी होगी।
3. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में मक्खी-मच्छरों इत्यादि की रोकथाम के लिए कीटनाशक दवाई का प्रयोग सांय 6-7 बजे प्रतिदिन करना होगा तथा चूहों की रोकथाम की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
 4. अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाये गये सफाई कर्मियों का नाम, पता, फोटो कार्य प्रारम्भ करने के समय से ही संस्थान को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगा तथा कर्मियों के बदले जाने या नये लगाये जाने पर भी तत्काल नाम, पता व फोटो उपलब्ध करवाई जायेगी तथा अनुबन्धकर्ता द्वारा लगाये जाने वाले सभी कर्मियों को स्वयं के स्तर से फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कर्मियों को उक्त परिचय पत्र कार्य-समय में धारित करना होगा। साथ ही अनुबन्धकर्ता द्वारा संस्थान में लगाये जाने वाले सफाई कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन करवाकर ही संस्थान में लगाया जायेगा।
 5. अनुबन्धकर्ता को उसके द्वारा लगाए गये सफाईकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र एवं आवश्यक टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 6. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य के निरीक्षण एवं संस्थान से कॉर्डिनेशन हेतु एक सुपरवाइजर नियुक्त किया जायेगा, जो प्रतिदिन कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगा। सुपरवाइजर के उपलब्ध नहीं रहने पर नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो रु 250/- प्रतिदिन की कटौती की जावेगी।
 7. अनुबन्धकर्ता को समय-समय पर सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से करने की हिदायत दिये जाने के बाद भी यदि सुधार नहीं हुआ तो 7 दिवस का नोटिस दिया जाकर ठेके को समाप्त करने का अधिकार निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) को होगा।
 8. अनुबन्धकर्ता के अनुबंध के अन्तर्गत कार्य का भुगतान संतोषजनक कार्य प्रमाणित किये जाने पर मासिक आधार पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।



9. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (फूल एवं सीक झाड़ू, पौछा, वैक्यूम क्लीनर, छोटे-बड़े डस्टबीन, ब्रश, ट्रौली, बास, एसिड, टॉयलेट क्लीनर, कॉलीन, सोडा, साबुन का घोल, साबुन, लिक्विड सोप, हैण्ड वाश मय डिस्पेंसर, डस्ट पिकर, डिटर्जेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेपथलीन बॉल्स की गोलियां आदि) की आपूर्ति अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। प्रदाय की जाने वाली सामग्री यथा साबुन, लिक्विड सोप, हैण्ड वाश मय डिस्पेंसर, आदि उच्च गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठित ब्राण्ड की होगी।
10. अनुबन्धकर्ता कचरे के निस्तारण हेतु राज्य सरकार/नगर निगम/प्रदूषण नियंत्रण मण्डल आदि द्वारा निर्धारित नियम/दिशानिर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
11. सफाई कार्य में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री उपयोग में लेनी होगी। फर्श दीवारों आदि की सफाई हेतु ईट-पत्थर आदि से घिसने का प्रयोग वर्जित होगा।
12. अनुबन्धकर्ता को प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक न्यूनतम 9 कार्मिक तथा उक्त समय के अतिरिक्त एवं रात्रिकालीन समय में न्यूनतम 3 कार्मिक संस्थान में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
13. निर्देशानुसार यदा कदा आवश्यकता होने पर निर्धारित कार्य से अतिरिक्त सफाई कार्य भी करना पड़ सकता है जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. अनुबन्धकर्ता/उसके सफाई कर्मियों को कार्य के दौरान कोई शारीरिक क्षति या अन्य नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। इसमें संस्थान प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. निर्देशानुसार समय पर सफाई कार्य नहीं करने/बंद करने की दशा में अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की वह सफाई किसी अन्य व्यक्ति/संस्था से करवा सके एवं उस पर हुआ व्यय अनुबन्धकर्ता से वसूल किया जा सकेगा।
16. अनुबन्धकर्ता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं श्रम विभाग के नवीनतम नियमों की पालना करनी होगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, यदि सफाई कार्मिकों की मानदेय राशि श्रम विभाग की न्यूनतम दर से कम है, तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
17. अनुबन्धकर्ता को प्रतिमाह A/c Payee Cheque द्वारा ही भुगतान किया जायेगा जिसमें नियमानुसार आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती स्रोत पर ही की जायेगी।
18. अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी सफाई कर्मों मय वर्दी में जिस पर नेम प्लेट का बैज भी लगा होगा ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे। वर्दी तथा वर्दी पर बैज का खर्च सेवा प्रदाता स्वयं वहन करेगा।
19. परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages)
 1. अनुबन्धकर्ता द्वारा राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) का सम्पूर्ण सफाई कार्य प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे तक पूरा करना होगा। प्रातः 09:00 बजे तक सफाई कार्य पूर्ण न होने अथवा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सफाई नहीं होने की स्थिति में नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा 500/- प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकेगा। उपरोक्त जुर्माना राशि अनुबन्धकर्ता के मासिक बिल में से काट ली जावेगी। यदि इसके उपरान्त भी सफाई कार्य में सुधार नहीं होता है तो 15 दिवस का नोटिस दे कर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही कर प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।
 2. सफाई नहीं होने की स्थिति में उक्त शास्ती के अतिरिक्त सम्बन्धित दिवस का भुगतान भी काटा जावेगा।

3. बोली दाता की वांछित योग्यताएं

- बोली दाता के पास ई.एस.आई./ई.पी.एफ./जी.एस.टी. का पंजीयन एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1958 के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स Contract labour (Regulation and abolition) act 1970 u/s 12(2) एवं अन्य वांछित लाईसेन्स होना अनिवार्य है। बोलीदाता द्वारा "वित्त (जीएण्डटी)



विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधनों की सेवाओं के उपापन के सम्बंध में जारी परिपत्र संख्या-1/2018 दिनांक 30.04.2018 के बिन्दु संख्या (V) पर वर्णित "राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोलियों में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ बोली के साथ प्रस्तुत की जावेगी" की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

- बोली दाता को किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण/कॉरपोरेट में सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण स्वरूप संबंधित सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण/कॉरपोरेट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
 - गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत न्यूनतम टर्नओवर रु 30 लाख होना अनिवार्य है एवं टर्नओवर इसी व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। बोली दाता को गत तीन वर्षों की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. अनुबन्धकर्ता स्वयं अथवा उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के द्वारा संस्थान की चल व अचल सम्पत्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कोई क्षति पहुंचाने की स्थिति में नुकसान की पूर्ति अनुबन्धकर्ता से की जावेगी।
 5. यदि अनुबन्धकर्ता के कार्य से सम्बंधित, संस्थान के किसी अनुभाग से कोई भी शिकायत आने व सही पाये जाने पर अनुबन्धकर्ता के बिल भुगतान में से शिकायत की गंभीरता के अनुरूप राशि काट ली जावेगी। अंतिम निर्णय निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का होगा।
 6. अनुबन्धकर्ता द्वारा अवयस्क लोगो को कार्य पर नियोजित नहीं किया जावेगा।
 7. अनुबन्धकर्ता अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक/ईमेल द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता सूचित करेगा, जो कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
 8. अनुबन्धकर्ता के किसी सफाई कर्मी द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से संस्थान के ध्यान में आने पर यदि संस्थान उस सफाई कर्मी को हटाने के निर्देश अनुबन्धकर्ता को देता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा उस सफाई कर्मी को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा एवं उसके स्थान पर तुरन्त दूसरा सफाई कर्मी संस्थान में उपलब्ध कराना होगा। अनुबन्धकर्ता द्वारा उक्त की पालना नहीं करने पर 500/- रुपये प्रति कार्मिक प्रतिदिन शास्ती आरोपित की जावेगी।
 9. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह अनुबन्धकर्ता स्वयं के खर्च पर प्राप्त करेगा तथा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत करेगा। अनुबन्धकर्ता को अपने कार्मिकों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी एवं मांगे जाने पर संस्थान में उपलब्ध करवाई जावेगी। इस हेतु इस संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 10. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाओं आदि में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुबन्धकर्ता द्वारा नियमों की पालना नहीं करने की स्थिति में निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।



11. यदि अनुबन्धकर्ता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर सफाई कर्मी न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें निदेशक रा.स्वा.प.क.सं. को भी पक्षकार बनाता है तो उससे संबंधित समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
12. अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एवं किये गये भुगतान के क्रम में एक प्रमाण पत्र बिल के साथ प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा कि सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी एवं ई.पी.एफ, ई.एस.आई. का भुगतान नियमानुसार किया गया है। उक्त की पालना नहीं किये जाने पर प्रति कार्मिक 1000.00 रुपये की शास्ती आरोपित की जावेगी एवं 3 बार से अधिक शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध निरस्त करने का निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को पूर्ण अधिकार होगा।
13. यदि अनुबन्धकर्ता एवं उसके सफाई कर्मी के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित सफाई कर्मी को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रवधानों के अनुसार श्रम नियोजित सफाई कर्मी को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व भी अनुबन्धकर्ता का ही होगा।
14. अनुबन्धकर्ता द्वारा नियोजित सफाई कर्मी की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय उपरान्त मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी व दायित्व क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। इसके लिए सरकार व निदेशक रा.स्वा.प.क.सं की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्धित कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को कार्य/अनुबन्ध को सबलेट नहीं करेगा।
16. अनुबन्धकर्ता द्वारा श्रमिकों की सूची, उनके पासपोर्ट साइज फोटों एवं पहचान संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे। इन कर्मचारियों के पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। उक्त दस्तावेजों की प्रतियां संस्थान में उपलब्ध करवानी होगी। कार्मिक में बदलाव करने पर तत्काल उपरोक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
17. अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने या उसका कार्य संतोषप्रद नहीं होने कि स्थिति मे अनुबन्धकर्ता को स्वीकृत अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त (forfeit) करते हुए अनुबन्धकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को होगा।
18. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक रा.स्वा.प.क.सं का निर्णय अंतिम होगा एवं अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा।
19. अनुबन्धकर्ता को, संस्थान में महीना पूर्ण होने पर बिल प्रस्तुत करने होंगे तत्पश्चात अनुबन्ध मे अंकित शर्तों एवं नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त बिलों का भुगतान किया जावेगा।
20. अनुबन्धकर्ता द्वारा अपने सफाई कर्मिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से भुगतान किया जायेगा इसके लिये पूर्णरूपेण अनुबन्धकर्ता ही जिम्मेदार होगा।
21. अनुबन्धकर्ता प्रत्येक माह कार्मिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से करेगा, जिसका विवरण अगले प्रत्येक माह के प्रस्तुत बिल के साथ निदेशक रा.स्वा.प.क.सं को प्रस्तुत करेगा।
22. अनुबन्धकर्ता द्वारा संस्थान परिसर में उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की सूची मय ESI & EPF जमा के चालान की सत्यापित प्रति प्रत्येक माह निदेशक रा.स्वा.प.क.सं के समक्ष प्रस्तुत करायेगा जिसके पश्चात् अनुबन्धकर्ता को अगले माह का भुगतान किया जावेगा।



23. उपयुक्त समझे जाने पर या आवश्यकता होने पर अनुबंध अवधि में नियमानुसार बढ़ोतरी की जा सकती है।
24. **करार व प्रतिभूति निक्षेप:** सफल बोली दाता को आदेश के प्राप्त होने से सात दिवस की अवधि के भीतर करार/अनुबंध पत्र रूपये 1000 के नॉन न्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित करना होगा। कार्यादेश राशि की 2.5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक से जमा करानी होगी। यदि सफल अनुबंधकर्ता जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों (आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी नियम 2013) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान अनुबंधकर्ता द्वारा किया जायेगा।
25. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
26. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security) का समपहरण (जब्त) (foreiture of performance security) – प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) किया जा सकेगा—
- जब अनुबंध की किन्ही निबन्धनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - जब अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्य/गुणवत्ता संतोष जनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
 - कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समपहरण (जब्त) करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा, इस सम्बंध में निदेशक रा.स्वा. एवं प.क. सं. का निर्णय अन्तिम होगा।
27. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
28. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान को उपरोक्त कार्य में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ोतरी किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
29. सम्पूर्ण बोली या बोली के किसी भाग को निरस्त करने/हटाने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक रा.स्वा.प.क.स का होगा।
- मैंने /हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को भली भाँति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।



सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम/बोर्ड/प्राधिकरण/कॉरपोरेट संस्थान का संतोषजनक कार्य का कार्यानुभव प्रमाण पत्र

(न्यूनतम 3 वर्ष का)

क्रम सं.	संस्थान का नाम व पता जहाँ कार्य सम्पादित किया है	सेवा अवधि	वित्त वर्ष	लागत	प्रमाण संलग्न किया है अथवा नहीं

Handwritten signature

तकनीकी बोली प्रपत्र

संलग्नक "E"

(फर्म के लेटर हैड पर विधिवत नोटरी)

वार्षिक टर्नओवर विवरण*

मैसर्स पता.....
..... के गत तीन वित्तीय वर्षों का सकल
वार्षिक टर्नओवर नीचे दिये गये वित्तीय विवरण सही और सत्य है, जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्नओवर (लाख में) रुपये
1		
2		
3		
	कुल योग	रुपयें लाख में

नोट:-

*विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत सकल वार्षिक टर्नओवर रुपये 30.00 लाख प्रतिवर्ष (तीस लाख रु) इसी व्यवसाय से सम्बन्धित होना अनिवार्य है एवं गत 3 वर्ष की CA द्वारा प्रमाणित ऑडिटेड रिपोर्ट (Profit & Loss Account/ Income & Expenditure Account and Balance sheet) संलग्न करनी होगी।

दिनांक: बोली दाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

अंकेक्षक के हस्ताक्षर मय सील / चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट
नाम:

पता:

मोबाइल नम्बर:



तकनीकी बोली प्रपत्र

संलग्नक "F "

स्व: घोषणा प्रमाण पत्र

(50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मेरी /हमारी संस्था (एकल स्वामित्व, साझेदारी, कम्पनी) द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किसी भी स्तर पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा निजी संस्थाओ से अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) घोषित नहीं की गई है तथा इसके उपरान्त भी अगर कोई विलेख मेरी/हमारी संस्था की अयोग्यता प्रदर्शित करता है तो उसके परिणाम तथा दुष्परिणाम हेतु मेरी/हमारी संस्था ही जिम्मेदार होगी।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

बोली दाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

दिनांक

स्थान

तकनीकी बोली प्रपत्र

संलग्नक "G"

स्वामित्व प्रमाण पत्र/घोषणा

(50 रू के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम..... मैं एकल स्वामित्व/साझेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स

.....एकल
स्वामित्व/साझेदारी फर्म/ सार्वजनिक/ निजी लिमिटेड कंपनी के एकमात्र मालिक जो कि अधिकृत कार्यालय
स्थित(पूरा पता) जो कि सही होने कि घोषणा करते
हैं:-

1. कि मैं मैसर्सका एक मात्र मालिक हूँ
अथवा

कि हमारी मैसर्ससाझेदारी फर्म है जिसके तहत साझेदारों
के पूरा नाम निम्न है/

(अ)

(ब).....

(स).....

(द).....

अथवा

कि हमारी कंपनी अधिनियम, 1956/कंपनी अधिनियम 2013 के संशोधन के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राइवेट
लिमिटेड कंपनी है।

यदि स्वामित्व के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/साझेदारी फर्म का साझेदारी विलेख/प्राइवेट
लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड का ज्ञापन और एसोसिएशन का प्रलेख प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए
जिस पर कंपनी के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशकों में से एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न
किया जाना चाहिए

2. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्सआज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक
किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ काली सूची (Black List) में अथवा कार्य में अयोग्य नहीं पाई गई
है अथवा कार्य असंतोषजनक होने के कारण पूर्व में मेरा/हमारा अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है एवं
प्रतिभूति राशि जब्त नहीं की गई है।



3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और नहीं किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण अयोग्य किये गये हैं।
5. मेरे कार्मिक भी किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सजायापता नहीं है/लिप्त नहीं रहे हैं।
6. मेरे/हमारी फर्म/कंपनी/मैसर्सआज दिनांक में प्रस्तुत बोली तक किसी भी संस्था अथवा उपक्रम के साथ अवैध कार्य तथा चोरी एवं आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है जिसकी घोषणा हमारे द्वारा कि जाती है तथा मेरे/हमारी फर्म/कंपनी मैसर्स.....के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई है/प्रक्रियाधीन नहीं है।
7. किसी भी स्तर पर हमारे द्वारा उपरोक्त दी गई सूचना एवं तथ्य गलत एवं झूठे पाये जाते हैं तो मेरे/हमारी फर्म/कंपनी को वर्तमान कार्य से वंचित कर दिया जाये तथा भविष्य में भी आप द्वारा जारी कि गई बोलीओ में आमन्त्रण हेतु अयोग्य समझा जावे जिस हेतु किसी भी दावे एवं नुकसानी लेने के लिये पात्र नहीं होंगे
8. मैं शपथ पत्र में पूर्ण स्वस्थ चित के साथ शपथ लेता हूँ की मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी

सत्यापन हेतु.....पर.....दिये गये अनुच्छेद 1 से 8 शपथ पत्र में सही और ठीक है तथा कोई भी बिन्दु गलत नहीं हैं तथा ना ही कुछ छुपाया अथवा झूठा विवरण दिया गया है।

(हस्ताक्षर एकल स्वामी के/प्रबन्धकीय साझेदार/निदेशक मय मोहर)

साक्षी नोटरी के हस्ताक्षर मय मोहर

वित्तीय बिड (BOQ)

सफाई कार्य हेतु दर संविदा

Format of BoQ to be filled electronically as financial bid and uploaded on e-proc

क्र.सं.	आईटम	दर प्रति माह मय आवश्यक सामग्री	जीएसटी	कुल
1	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के सम्पूर्ण संस्थान परिसर का सफाई कार्य मय आवश्यक सामग्री			

The rate should be filled in financial bid (BOQ) in figure & words in each column separately through <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>